निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

31 आषाढ़ 1947 (श0)

(सं0 पटना 1264) पटना, मंगलवार, 22 जुलाई 2025

बिहार विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

22 जुलाई 2025

सं० *वि०स०वि०-08/2025*-3090/*वि०स०*—''बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास (संशोधन) विधेयक, 2025'', जो बिहार विधान सभा में दिनांक-22 जुलाई, 2025 को पुर:स्थापित हुआ था, बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-116 के अन्तर्गत उद्देश्य और हेतु सहित प्रकाशित किया जाता है ।

आदेश से,
ख्याति सिंह,
प्रभारी सचिव।

[वि०स०वि०-05/2025]

बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास (संशोधन) विधेयक, 2025

बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम, 1950 (बिहार अधिनियम–01, 1951) का संशोधन करने के लिए विधेयक।

1. **संक्षिप्त नाम एवं प्रारंभ।**–

(1) यह अधिनियम बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास (संशोधन) अधिनियम, 2025 कहा जा सकेगा।

(2) यह दिनांक–23 मई, 2025 से प्रवृत समझा जाएगा।

2. **धारा 32 में संशोधन।**–बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम, 1950 में उपधारा 32(5) को निम्नलिखित रूप में अंतःस्थापित किया जाएगाः–

''(5) (i) बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम, 1950 की धारा 32 सहित किसी प्रावधान के होते हुए भी, राज्य सरकार पुनौराधाम मंदिर, सीतामढ़ी के विकास के लिए एक योजना बना सकेगी, जिसमें भूमि और सभी परिसंपत्तियों का प्रशासन शामिल हैं। इस योजना में अन्य बातों के साथ–साथ विकास के लिए समग्र दृष्टिकोण शामिल होगा, ताकि इसे राष्ट्रीय महत्व का धार्मिक और पर्यटन आकर्षण का स्थान बनाने के उद्देश्य को प्राप्त किया जा सके।

(ii) राज्य सरकार विकास योजना के प्रशासन के लिए प्रतिष्ठित व्यक्तियों की समिति गठित कर सकेगी।

(iii) इस अधिनियम के लागू होने की तिथि से पुनौराधाम मंदिर की वर्तमान न्यास समिति भंग मानी जाएगी। सभी पदाधिकारी कार्य करना बंद कर देंगे।

परंतु न्यास के विद्यमान महंथ को राज्य सरकार द्वारा गठित की जाने वाली समिति में शामिल किया जाएगा।

परंतु और भी, न्यास के सभी कर्मचारी अनुशासनात्मक कार्रवाई सहित समिति के पूर्ण नियंत्रण के अधीन रहते हुए न्यास की सेवा करते रहेंगे।

(iv) राज्य सरकार द्वारा गठित की जाने वाली समिति, न्यास और उसकी सभी मूर्त और अमूर्त परिसंपत्तियों के प्रबंधन का पूर्ण नियंत्रण तुरंत अपने हाथ में ले लेगी।

(v) राज्य सरकार द्वारा गठित समिति राज्य सरकार को समय–समय पर रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।

(vi) राज्य सरकार योजना के उचित कार्यान्वयन के हित में समिति को निर्देश जारी कर सकती है और ऐसे निर्देश बाध्यकारी होंगे।

(vii) राज्य सरकार न्यास के समुचित विकास के हित में वर्तमान योजना को संशोधित, परिवर्तित या प्रतिस्थापित कर सकेगी। राज्य सरकार किसी भी समय समिति का पुनर्गठन कर सकेगी, जिसमें नए सदस्यों को शामिल करना या वर्तमान सदस्यों को बाहर करना शामिल है।

(viii) अधिनियम की धारा 28 के अंतर्गत पर्षद की सामान्य शक्तियां और कर्तव्य न्यास पर लागू रहेंगे।

(ix) उप–धारा (3) और (4) में निहित प्रावधान इस विधेयक के प्रावधानों के तहत तैयार की गई योजना पर लागू नहीं होंगे।''

3. निरसन एवं व्यावृति।–(i) बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास (संशोधन) अध्यादेश, 2025 (बिहार अध्यादेश संख्या–01, 2025) इसके द्वारा निरसित किया जाता है।

(ii) ऐसे निरसन के होते हुए भी उक्त अध्यादेश के द्वारा या के अधीन प्रदत्त किसी शक्ति के प्रयोग में किया गया कोई कार्य या की गयी कोई कार्रवाई इस अधिनियम द्वारा या के अधीन प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में किया गया या की गयी समझी जायेगी, मानो यह अधिनियम उस दिन प्रवृत था, जिस दिन ऐसा कार्य किया गया था या ऐसी कार्रवाई की गयी थी।

उद्देश्य एवं हेतु

सीतामढ़ी जिले में 'देवी सीता' की जन्मस्थली पुनौराधाम का विशेष धार्मिक और पर्यटकीय महत्व है। हिंदू धर्मावलंबी 'भगवान राम' के साथ 'देवी सीता' की भी पूजा करते हैं। अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि का विकास किया गया है और यह श्रद्धालुओं के लिए बहुत आकर्षण का केंद्र बन गया है। उसी के अनुरूप मौजूदा पुनौराधाम को रामायण सर्किट के रूप में विकसित करने के लिए बिहार सरकार ने योजना बनाई है।

और चूँकि, पुनौरा मठ (श्री सीता जन्म कुण्ड स्थल (श्री जानकी जन्म भूमि, पुनोरा धाम मंदिर) ग्राम–पुनौरा, जिला–सीतामढ़ी एक पंजीकृत सार्वजनिक न्यास है और पर्षद के नियंत्रण और पर्यवेक्षण के तहत कार्य कर रहा है। धार्मिक न्यास पर्षद् द्वारा बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम, 1950 की धारा–32 में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए मन्दिर परिसर के संचालन एवं प्रबंधन हेतु श्री जानकी जन्म भूमि पुनौराधाम मन्दिर, ग्राम–पुनौरा, थाना व जिला–सीतामढ़ी न्यास समिति का गठन किया गया था।

उक्त न्यास समिति द्वारा नयी प्रस्तावित वृहद योजना के संचालन एवं प्रबंधन किये जाने में कठिनाईयाँ थी। इस स्थल के विकास हेतु पूर्व से उपलब्ध लगभग 17 एकड़ की भूमि पर अवस्थित संरचनाएँ एवं अतिरिक्त 50 एकड़ भूमि के अधिग्रहण के उपरांत क्रिन्यान्वित की जाने वाली योजना के प्रभावी संचालन एवं प्रबंधन हेतु नये सिरे से न्यास समिति का गठन करने हेतु बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम, 1950 (बिहार अधिनियम, 01, 1951) की धारा–32 में उल्लेखित प्रावधान में संशोधन किया जाना आवश्यक था। उक्त हेतु बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास (संशोधन) अध्यादेश, 2025 प्रख्यापित है। उक्त अध्यादेश को विधायित करने हेतु बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास (संशोधन) विधेयक, 2025 लाया गया है।

अतः बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम, 1950 (बिहार अधिनियम, 01, 1951) की धारा–32 में संशोधन करना ही इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य है तथा इसे अधिनियमित कराना ही इस विधेयक का अभीष्ट है।

(मंगल पाण्डेय)
भार–साधक सदस्य

पटना,
दिनांक–22.07.2025

प्रभारी सचिव,
बिहार विधान सभा।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 1264-571+10-डी0टी0पी0
Website: : https://egazette.bihar.gov.in